भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 3341
(जिसका उत्तर मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2014 को दिया गया)

<u>काली सूची में डाली गई कंपनियों की पहचान</u>

3341. श्री अरविंद कुमार सिंह :
श्री नीरज शेखर :
श्री आलोक तिवारी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि काली सूची में शामिल राजकोट की कंपनियों के नाम छिपाने और उन्हीं के निदेशकों द्वारा दूसरी कंपनियों के नाम पर कारोबारी गतिविधियां चलाने के संबंध में तत्कालीन कारपोरेट कार्य और वित्त राज्य मंत्री ने अर्ध सरकारी पत्र सं.580/7/वी.आई.पी./एम.ओ.एस.एफ.(आर)/2014 दिनांक 25 अगस्त, 2014 द्वारा सांसदों से अभ्यावेदन प्राप्त होने की अभिस्वीकृति की है;
(ख) यदि हां, तो जानकारी न देने और दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में मंत्री का दिनांक 18 अगस्त, 2014 का अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजकोट की कंपनियों के दोषी निदेशकों के विरूद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) : कारपोरेट कार्य मंत्रालय में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मंत्रालय को अब यह सूचना मिली है कि संदर्भाधीन पत्र की एक प्रति राजस्व विभाग को भेजी गई है। इस संबंध में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से सूचना प्राप्त की जा रही है और सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जाएगी।
(ख) : प्रश्न नहीं उठता।
(ग) : जी, हां। श्री कमाल अख्तर, राज्य मंत्री (पंचायती राज), उत्तर प्रदेश शासन का दिनांक 18 नवंबर, 2014 का पत्र मंत्रालय में प्राप्त हुआ है और मंत्रालय के दिनांक 03.12.2014 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 7/432/2014-सीएल-II द्वारा इसकी पावती भेजी गई है।

(घ) : इस मामले संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जांच की जा रही है। कंपनी रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् आगे की कार्रवाई की जाएगी।

*****